कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 425/ज.सं.प्र./प्र.अ./लोस्वायांवि/2010 भोपाल, दिनांक 24-5-2010

प्रति, **आवश्यक**

(1) समस्त मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर ।

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंडल–भोपाल/नर्मदापुरम होशंगाबाद/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/छिन्दवाडा/ रीवा/शहडोल ।

विषयः– बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने की तैयारी ।

विगत वर्षों में मानसून अवधि में कुछ जिलों में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति के कारण पेयजल से संबंधित कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं । शासन द्वारा सभी विभागों को बाढ़ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व से तैयारियां करने हेतु निर्देशित किया गया है जिससे बाढ़ के समय किसी भी विषम स्थिति से निपटा जा सके ।

समस्त मैदानी अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करें कि जिन जिलों में विगत वर्षों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उन सभी में स्थिति से निपटने की पूर्ण तैयारी की जाना सुनिश्चित करें । ऐसे सभी जिलों में आवश्यक मात्रा में पेयजल के डिसइन्फेक्शन हेतु ब्लीचिंग पाउडर आदि रसायन उपलब्ध रहना चाहिए । प्रत्येक ऐसे जिले में जहां बाढ़ की संभावना है, पूर्व अनुभव के आधार पर एवं जिला प्रशासन से समन्वय कर, कार्य योजना भी तैयार रखें । जो ग्राम बाढ़ की स्थिति में घिर जाते हैं एवं पहुंच विहीन हो जाते हैं उनमें पीने के पानी के लिए वैकल्पिक स्त्रोत भी चिन्हित कर लिये जाएं एवं ऐसे सभी स्त्रोतों का समुचित डिसइन्फैक्शन सुनिश्चित करें । स्वास्थ्य विभाग से भी समन्वय कर, पेयजल के अन्य स्त्रोतों का भी डिसइन्फेक्शन सुनिश्चित करें एवं किसी भी क्षेत्र से दूषित पेयजल के कारण किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने का पूर्ण विवरण तत्काल विभाग को प्राप्त हो सके इस हेतु भी सुनिश्चित व्यवस्था करें ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में वर्षाकाल में कई ग्रामवासी झिरियो आदि का प्रदूषित पानी पी लेते हैं एवं इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता रखी जाए तथा आवश्यकतानुसार, वर्षाकाल के पूर्व एवं पुनः बाढ़ के तत्काल बाद, हैण्डपंपों का डिसइन्फैक्शन करा लिया जाये । पेयजल स्त्रोत, हैण्डपंप एवं कुंओं के पास कचरे के ढेर के कारण भी प्रदूषण होता है अतः स्थानीय स्तर पर समन्वय कर इन्हें हटाने के संबंध में भी तत्काल कार्यवाही आवश्यक है अतः सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने क्षेत्रों में पूर्ण सतर्कता तथा सजगता रखें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी यथासमय भेजें ।

(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. /ज.सं.प्र./प्र.अ./लोस्वायांवि/2010 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

(1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(2) समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खंड..................................मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख अभियंता

c.m.moni

1138